



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273087  
CG-DL-E-03062026-273087

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]  
No. 368]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISTHA 12, 1948

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया)(संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2026-27/जी.एन./आर.ई.जी.149.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया)(संशोधन) विनियम, 2026 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 3 के खंड (ड) का लोप किया जाएगा।
3. मूल विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (2) में, “प्ररूप क” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।
4. मूल विनियमों में, विनियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

#### “6क. आस्तियों की विवरणी

(1) धारा 94 और धारा 95 के प्रयोजनों के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन के साथ समस्त आस्तियों की, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं, समर्थनकारी साक्ष्य सहित पूर्ण और सही विवरणी भी प्रस्तुत की जाएगी:

(क) नकदी और बैंक जमा – नकदी; बचत या चालू खातों में अतिशेष; नियत निक्षेप; आवर्ती निक्षेप; डाकघर बचत लिखतें; और डिजीटल वॉलेट या समरूप लिखतों में धारित अतिशेष।

(ख) कारबार संबंधी हित और वाणिज्यिक आस्तियां – किसी स्वत्वधारिता, भागीदारी, सीमित दायित्व भागीदारी या कंपनी में चाहे अकेले या संयुक्त रूप से कोई स्वामित्व, जिसके अंतर्गत सभी सहयुक्त आस्तियां भी आती हैं, जैसे सामान-सूची, संयंत्र और मशीनरी, व्यापार के औजार, व्यावसायिक उपस्कर और गुडविल।

(ग) निवेश (घरेलू और विदेशी) – शेयरों, डिबेंचरों, बंधपत्रों, म्युचुअल निधियों, सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश और कोई अन्य वित्तीय लिखतें, जिनके अंतर्गत भारत के बाहर किए गए निवेश भी हैं, जैसे विदेशी बैंक खाते, प्रतिभूतियां और अचल संपत्तियां।

(घ) अचल संपत्ति – अचल संपत्तियों में, जिसके अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक संपत्ति, कृषि भूमि भी है, समस्त अधिकार, हक या हित तथा पट्टाधृत या फ्रीहोल्ड हित।

(ङ) सेवानिवृत्ति और भविष्य निधि आस्तियां – भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, उपदान, अधिवार्षिकी निधियों और किसी अन्य सेवानिवृत्ति फायदा स्कीमों में अतिशेष या हकदारियां।

(च) डिजीटल आस्तियां – क्रिप्टोकरेंसी, वर्चुअल डिजीटल आस्तियां, अविभाज्य टोकन, डिजीटल टोकन और वाणिज्यिक मूल्य वाले डोमेन नाम या अन्य डिजीटल संपत्तियां।

(छ) बौद्धिक संपत्ति और अमूर्त आस्तियां – पेटेंट, व्यापार-चिह्न, कॉपीराइट, अनुज्ञप्तियां, फ्रेंचाइज़ी, ब्रांड मूल्य, गुडविल, रायल्टी अधिकार और कोई अन्य अमूर्त आस्तियां।

(ज) मूल्यवान चल आस्तियां – आभूषण, बहुमूल्य धातु और पत्थर, कलाकृतियां, प्राचीन वस्तुएं, संग्रहणीय वस्तुएं, घड़ियां और उच्च मूल्य वाली इलेक्ट्रॉनिक या व्यक्तिगत आस्तियां।

(झ) कृषि आस्तियां और पशुधन – कृषि उत्पाद, पशुधन और संबंधित कृषि उपकरण।

(ञ) प्राप्ति-योग्य और अग्रिम – व्यापार प्राप्ति-योग्य. दिए गए उधार और अग्रिम, देय कर प्रतिदाय, प्रतिभूति निक्षेप, बकाया वेतन और कोई अन्य प्राप्ति-योग्य धनराशियां।

(ट) दावे और आकस्मिक आस्तियां – मुकदमेबाजी या माध्यस्थम् के अधीन दावे, बीमा दावे, प्रत्याशित वसीयत और न्यासों या समरूप ठहरावों के अधीन फायदाग्राही हित।

(ठ) ई.एस.ओ.पी. और फायदाग्राही स्वामित्व संबंधी हित – कर्मचारी स्टॉक विकल्प(ई.एस.ओ.पी.) (चाहे वह निहित हो या अनिहित), नामनिर्देशितियों के माध्यम से धारित प्रतिभूतियां या आस्तियां और किसी इकाई, न्यास या ठहराव में कोई फायदाग्राही हित।

परन्तु धारा 95 के अधीन किसी आवेदन के प्रयोजनों के लिए, लेनदार, व्यष्टि की आस्तियों से संबंधित उस सीमा तक जानकारी फाइल करेगा जितनी लेनदार के पास उपलब्ध है।

(2) आस्तियों की विवरणी में आज्ञापक रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) चाहे व्यष्टि के नाम में या अन्यथा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन आस्तियां

(ख) व्यष्टिक रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से धारित आस्तियां।

(ग) विश्वासाश्रित हैसियत में, जिसके अंतर्गत न्यासी, संरक्षक, निष्पादक या भागीदार के रूप में भी शामिल है, धारित आस्तियां।

(घ) फायदाग्राही स्वामित्व ढांचे के माध्यम से, जिसके अंतर्गत नामनिर्देशितियों, न्यासों, भागीदारी, कंपनियों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों या फायदाग्राही हित या नियंत्रण प्रदत्त करने वाले किसी अन्य ठहराव के माध्यम से भी शामिल है, धारित आस्तियां।

(ङ) ऐसी कोई अन्य आस्ति जिस पर व्यष्टि नियंत्रण प्रभाव का प्रयोग करता है या विधिक हित न होते हुए आर्थिक फायदा प्राप्त करता है।

5. मूल विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (1) में, "प्ररूप ख" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए", शब्द रखे जाएंगे।

6. मूल विनियमों के विनियम 11 के उप-विनियम (3) में, "के अनुसार" शब्दों के पश्चात्, "धारा 106 की उपधारा (3क)" शब्द, चिह्न और संख्यात्मक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

7. मूल विनियमों के विनियम 11 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

#### 11क. आस्तियों के अंतरण को सुकर बनाना।

(1) जहां ऋणी एक ऐसा व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाता है, जिसके विरुद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया चल रही है, वहां ऐसे ऋणी का समाधान व्यावसायिक, जिसने व्यक्तिगत प्रत्याभूति दी है, ऐसे निगमित ऋणी के समाधान व्यावसायिक के साथ, जिसकी बाबत ऐसी प्रत्याभूति दी गई है, ऐसे निगमित ऋणी की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया में, जिसकी बाबत धारा 28क के प्रयोजनों के लिए ऐसी प्रत्याभूति दी गई है, आस्ति के अंतरण के संबंध में समन्वय करेगा।

(2) धारा 28क के प्रयोजनों के लिए, समाधान व्यावसायिक ऋणी के लेनदारों की समिति की बैठक से, जिसने ऐसे निगमित ऋणी की, जिसकी बाबत ऐसी प्रत्याभूति दी गई है, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया में आस्ति का अंतरण करने के लिए व्यक्तिगत प्रत्याभूति दी गई, अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(3) जहां लेनदारों की समिति द्वारा अंतरण अनुज्ञात करते हुए अनुमोदन प्रदान किया जाता है वहां ऋणी का समाधान व्यावसायिक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित अंतरण को धारा 106 और धारा 112 के अधीन रिपोर्ट में समुचित रूप से प्रकट किया जाए।

8. मूल विनियमों के विनियम 16 के उप-विनियम (2) में, “प्ररूप ग” शब्दों के स्थान पर “ऐसा प्ररूप, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे।
9. मूल विनियमों के विनियम 17ख में, “कोई प्रतिदाय योजना प्रस्तुत न किए जाने की सूचना देते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन फाइल करेगा और समुचित निदेशों की ईप्सा करेगा” शब्दों के स्थान पर “धारा 106 की उपधारा (1क) के अनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन फाइल करेगा” शब्द, चिह्न और संख्यात्मक रखे जाएंगे।
10. मूल विनियमों में, प्ररूप क, प्ररूप ख, प्ररूप ग का लोप किया जाएगा।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./138/2026-27]

**टिप्पण:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 413, तारीख 20 नवम्बर, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.050, तारीख 20 नवम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 752, तारीख 21 नवम्बर, 2025 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/आर.ई.जी.131, तारीख 20 नवम्बर, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किया गया था।

## INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

#### Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2026

**F. No. IBBI/2026-27/GN/REG149.**— In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), in regulation 3, clause (e) shall be omitted.
3. In the principal regulations, in regulation 4, in sub-regulation (2), for the words “Form A”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.
4. In the principal regulations, after regulation 6, the following regulation shall be inserted, namely:-

#### “6A. Statement of assets.

- (1) For the purposes of sections 94 and 95, along with the application for initiating the insolvency resolution process to be submitted to the Adjudicating Authority, a complete and true statement of all assets including the following, with supporting evidence, shall also be submitted:

- (a) **Cash and Bank Deposits** - Cash in hand; balances in savings or current accounts; fixed deposits; recurring deposits; post office savings instruments; and balances held in digital wallets or similar instruments.
- (b) **Business Interests and Commercial Assets** - Any ownership, whether sole or joint, in a proprietorship, partnership, limited liability partnership, or company, including all associated assets such as inventory, plant and machinery, tools of trade, professional equipment, and goodwill.
- (c) **Investments (Domestic and Overseas)** - Investments in shares, debentures, bonds, mutual funds, government securities, and any other financial instruments, including investments made outside India such as foreign bank accounts, securities, and immovable properties.
- (d) **Immovable Property** - All rights, title, or interest in immovable property, including residential, commercial, or industrial property, agricultural land, and leasehold or freehold interests.
- (e) **Retirement and Provident Fund Assets** - Balances or entitlements in provident funds, pension funds, gratuity, superannuation funds, and any other retirement benefit schemes.
- (f) **Digital Assets** - Cryptocurrencies, virtual digital assets, non-fungible tokens, digital tokens, and domain names or other digital properties having commercial value.
- (g) **Intellectual Property and Intangible Assets** - Patents, trademarks, copyrights, licences, franchises, brand value, goodwill, royalty rights, and any other intangible assets.
- (h) **Valuable Movable Assets** - Jewellery, precious metals and stones, works of art, antiques, collectibles, watches, and high-value electronic or personal assets.
- (i) **Agricultural Assets and Livestock** - Agricultural produce, livestock, and related agricultural equipment.
- (j) **Receivables and Advances** - Trade receivables, loans and advances given, tax refunds due, security deposits, salary arrears, and any other sums receivable.
- (k) **Claims and Contingent Assets** - Claims under litigation or arbitration, insurance claims, expected inheritances, and beneficial interests under trusts or similar arrangements.
- (l) **ESOPs and Beneficial Ownership Interests** - Employee stock options (ESOPs) (whether vested or unvested), securities or assets held through nominees, and any beneficial interest in any entity, trust, or arrangement.

Provided that for the purposes of an application under section 95, the creditor shall file information relating to the assets of the individual to the extent available with the creditor.

(2) The statement of assets shall mandatorily include:

- (a) assets owned directly or indirectly, whether in the name of the individual or otherwise;
- (b) assets held individually or jointly with any other person;
- (c) assets held in a fiduciary capacity, including as trustee, guardian, executor, or partner;
- (d) assets held through beneficial ownership structures, including through nominees, trusts, partnerships, companies, Hindu Undivided Families, or any other arrangement conferring beneficial interest or control; and
- (e) any asset over which the individual exercises control, influence, or derives economic benefit, irrespective of legal title.”

5. In the principal regulations, in regulation 7, in sub-regulation (1), for the words “Form B”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

6. In the principal regulations, in regulation 11, in sub-regulation (3), after the words “in accordance with”, the words, marks and numerical “sub-section (3A) of section 106 and” shall be inserted.

7. In the principal regulations, after regulation 11, the following regulation shall be inserted, namely: -

**“11A. Facilitation of transfer of assets.**

- (1) Where the debtor is a personal guarantor who is undergoing an insolvency resolution process, the resolution professional of such debtor who has given the personal guarantee shall coordinate with the resolution professional of the corporate debtor in respect of whom such guarantee has been given, regarding transfer of assets in the corporate insolvency resolution process of the corporate debtor in respect of whom such guarantee has been given for the purposes of section 28A.

(2) For the purposes of section 28A, the resolution professional shall obtain approval from the meeting of creditors of the debtor who has given the personal guarantee for transfer of assets in the corporate insolvency resolution process of the corporate debtor in respect of whom such guarantee has been given.

(3) Where approval is granted by the meeting of creditors permitting the transfer, the resolution professional of the debtor shall ensure that the proposed transfer is appropriately disclosed in the report under section 106 and section 112.”.

8. In the principal regulations, in regulation 16, in sub-regulation (2), for the words “Form C”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

9. In the principal regulations, in regulation 17B, for the words “intimating the non-submission of a repayment plan and seek appropriate directions”, the words, mark and numerical “in accordance with sub-section (1A) of section 106” shall be substituted.

10. In the principal regulations, Form A, Form B and Form C shall be omitted.

RAVI MITAL, Chairperson  
[ADVT.-III/4/Exy./138/2026-27]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019 were published vide notification No. IBBI/2019- 20/GN/REG050, dated 20<sup>th</sup> November, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 413 on 20<sup>th</sup> November, 2019 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Second Amendment) Regulations, 2025 published vide notification F. No. IBBI/2025-26/GN/REG131, dated the 20<sup>th</sup> November, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.752 on the 21<sup>st</sup> November, 2025 .